


मौ. ग्रासीन / असागर इली - 100/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.4.25	<p>ग्रावली पेश। वकील अपीलत को पूर्व पेशी पर इदायत दा गई थी। वहां आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलत ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये कये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल टफतर हो।</p> <p></p> <p><b>भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्ड्रान्त)</b></p>	